

राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा


क्रमांक:- प.2()स्था0.राज0/2019/

दिनांक:- मार्च, 2019

-:: कार्यालय-आदेश ::-

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में आया है कि इस महाविद्यालय के कई शिक्षक चिकित्सक MCI द्वारा लगायी गयी बायोमेट्रिक मशीन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इससे MCI में सम्भवतः गलत संदेश जा रहा है। आने वाले MCI निरीक्षण में निरीक्षकों द्वारा सम्भवतः शिक्षक चिकित्सकों की उपस्थिति की जानकारी बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

अतः इस संस्थान के सभी शिक्षक चिकित्सकों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति MCI बायोमेट्रिक मशीन में आवश्यक रूप से दर्ज करें। यदि इसी के आधार पर MCI निरीक्षकों द्वारा उनकी उपस्थिति को मान्य नहीं किया जाता है तो इसके लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। संस्थान के सभी अधीक्षकों/विभागाध्यक्षों को उनके अधिनस्थ कार्यरत समस्त शिक्षक चिकित्सकों को इस आदेश की पालना कराये जाने कि सुनिश्चितता करें।



प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक:- प.2()स्था0.राज0/2019/ 540

दिनांक:- 19 मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम/द्वितीय।
- 2- अधीक्षक एम.बी.एस./जे.के.लोन/नवीन चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय रामपुरा कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उनके संस्थान में लगायी गयी MCI बायोमेट्रिक मशीन कार्यशील है अथवा नहीं इसकी जानकारी अविलम्ब इस संस्थान को भिजवायी जावे।
- 3- समस्त विभागाध्यक्षों को उनके अधिनस्थ कार्यरत समस्त शिक्षक चिकित्सकों को सूचित करने हेतु।
- 4- प्रभारी शैक्षणिक अनुभाग प्रथम।
5. आई टी अनुभाग।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक